# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0– 79/2014

सरकार (मार्फत पुलिस अधीक्षक,सारण छपरा)

बनाम

अजय कुमार सिंह, पे0–वालकेश्वर सिंह, सा0–धोधिया, थाना–मशरक, जिला–सारण

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 02.12.2014 | दिनांक 05.08.2014 को आवेदक अजय कुमार सिह, पे0– बालकेश्वर सिंह, सा0– धोधिया, थाना–मशरक, जिला–सारण की उपस्थिति में सुनवाई की गई।<br>अभिलेख में रक्षित पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जान–माल पर खतरे की आशंका से संबंधित विवरणी को न पाकर इस न्यायालय के पत्रांक 908, दिनांक 26.08.2014 के द्वारा पुलिस अधीक्षक,सारण से प्रतिवेदन की मॉग की गई। दिनांक 26.08.2014 के द्वारा पुलिस अधीक्षक,सारण के पत्रांक 4101/गो0,दिनांक 29.09.14 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 827/दिनांक 15.09.2014 एवं थानाध्यक्ष, मशरक के ज्ञापांक 2741/दिनांक 14.09.2014 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को संलग्न कर भेजा गया है।<br>थानाध्यक्ष, मशरक के द्वारा प्रतिवेदित गया है कि आवेदक एवं उनके पिता दिल्ली गए हुए है। आवेदक के पिता के नाम से डी0बी0बी0एल गन है इनके पिता शिक्षक थे, जो सेवानिवृत हो गये है। काफी वृद्ध हो जाने के कारण ये अपने शस्त्र की अनुज्ञप्ति अपने पुत्र अजय कुमार सिह के नाम से स्थानांतरित कराना चाहते है। आवेदक के जानमाल एवं व्यवसाय की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। इन्हे शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।<br>पुलिस प्रतिवेदन के परिसीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक के व्यवसाय के संबंध में कोई विवरणी नहीं दी गई है। साथ ही, आवेदक के जानमाल पर किस प्रकार का खतरा व्याप्त है इससे संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित नही किया गया है और न ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के कम में कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया है।<br>जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निर्देश है कि वे पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग करे एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अभिलेख प्रेषित किया जाए।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला दण्डाधिकारी,<br>सारण, छपरा।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>जिला दण्डाधिकारी,<br>सारण, छपरा। | |

ज्ञापांक 1038 दिनांक 04/12/14

प्रतिलिपि– S.P. सारण/जिला शस्त्र दण्डा० सारण/DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
4/12/14